संख्या- 72 **/I/2026/** 1281482 **/2026/71-1006/180/2019**

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2026

विषयः-राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रय किये जाने वाले उपकरणों हेतु शासनादेश दिनांक 01.08.2025 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-127/2025/I/1043709/2025/71-1001/1703/2019, दिनांक 01.08.2025 द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक-16.01.2024 द्वारा गठित समिति के 03 अध्यक्षों द्वारा कुल 911 उपकरणों/फर्नीचरों (484+197+230) हेतु निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों को 02 वर्षो (वर्ष 2025-26 एवं 2026-27) हेतु निर्धारित करते हुए चिकित्सा संस्थाएं अपने स्तर पर तथा राजकीय मेडिकल कालेज व स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पूर्व अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर गठित तकनीकी समिति के माध्यम से हाई एण्ड स्पेसिफिकेशन के उपकरणों के स्थान पर लो एण्ड स्पेसिफिकेशन वाले उपकरणो का क्रय किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 01.08.2025 के प्रस्तर-3 में यथास्थान अंकित स्तम्भ-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 के अनुसार निम्नवत् संशोधन का निर्णय लिया गया है-

विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
शासनादेश संख्या-127/2025/I/1043709/2025/71-1001/1703/2019, दिनांक 01.08.2025 के प्रस्तर-3 में- "चिकित्सा संस्थाएं अपने स्तर पर तथा	कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-01-2024 द्वारा गठित तकनीकी विशिष्ठता निर्धारण समितियों द्वारा उपकरणों की हाई एंड (एडवांस्ड)/ मीडीअम/बेसिक तकनीकी विशिष्टयां उपलब्ध हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राजकीय मेडिकल कॉलेज व स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पूर्व अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर गठित तकनीकी समिति के माध्यम से हाई एंड स्पेसिफिकैशन के उपकरणों के स्थान पर लो एंड स्पेसिफिकैशन वाले उपकरणों का क्रय कर सकते हैं।"	"अतः चिकित्सा संस्थाएं, राजकीय मेडिकल कॉलेज व स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय उपकरणों के क्रय हेतु बजट की उपलब्धता अथवा विभागीय/स्थानीय आवश्यकतानुसार उस उपकरण की उक्त 3 श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी की तकनीकी विशिष्टियों का उपयोग क्रय हेतु कर सकते हैं।"

3- शासनादेश संख्या-127/2025/I/1043709/2025/71-1001/1703/2019, दिनांक 01.08.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

4- कृपया उपर्युक्तानुसार दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 26-03-2026 18:12:48

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कुलपति, के0जी0एम0यू0/ उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
2. निदेशक, निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान/एस0जी0पी0जी0आई0, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
3. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान, नोएडा/, गवर्नमेन्ट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज, ग्रेटर नोएडा।
4. निदेशक, हृदय रोग संस्थान/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
6. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in